

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

// संविदा भर्ती विज्ञापन //

क्रमांक/SZ468/SAGES/2023-24

रायगढ़ दिनांक 21/08/2023

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. के पत्र क्रमांक/सेजेस/नस्ती क्र. 24/2023-24/238 नवा रायपुर दिनांक 04.08.2023 के निर्देशानुसार रायगढ़ जिले अंतर्गत 08 स्वामी आत्मानंद योजनांतर्गत संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर संविदा से भर्ती की जानी है जिसके लिये दिनांक 25.08.2023 से 11.09.2023 तक आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। संस्थावार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

संविदा भर्ती हेतु पद :-

क्र	विद्यालय का नाम	पदनाम	विषय	पद संख्या
1	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चपले	व्याख्याता	जीव विज्ञान	1 अनारक्षित
		व्याख्याता	गणित	1 अनारक्षित
		व्याख्याता	वाणिज्य	1 अ.ज.जा.
		शिक्षक	अंग्रेजी	1 अनारक्षित
		सहायक शिक्षक		1 अनारक्षित 1 अ.ज.जा.
2	शासकीय नटवर इग्लिया स्कूल रायगढ़	प्री-प्राइमरी टीचर		1 अ.ज.जा.
3	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोड़ातराई	शिक्षक	कला	1 अनारक्षित
		सहायक शिक्षक		1 अ.जा.
		प्री-प्राइमरी टीचर		1 अ.ज.जा.
4	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोतरा	व्याख्याता	जीवविज्ञान	1 अनारक्षित
		व्याख्याता	भौतिकी	1 अनारक्षित
		प्री-प्राइमरी टीचर		1 अ.ज.जा.
5	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तमनार	व्याख्याता	वाणिज्य	1 अनारक्षित
		सहायक शिक्षक		1 अ.ज.जा.
		सहायक शिक्षक विज्ञान		1 अनारक्षित
6	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पुसौर	प्री-प्राइमरी टीचर		1 अ.ज.जा.
		प्रधान पाठक प्रा.शा.		1 अनारक्षित
7	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लैलूंगा	प्री-प्राइमरी टीचर		1 अ.ज.जा.
8	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय घरघोड़ा	प्री-प्राइमरी टीचर		1 अ.ज.जा.

1. आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि - 25.08.2023 से
2. डाक के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 11.09.2023

महत्वपूर्ण टीप:-

1. उपरोक्त व्याख्याता पद हेतु संविदा मानदेय राशि 38100=00, शिक्षक पद हेतु 35400=00 एवं सहायक शिक्षक पद हेतु 25300=00, प्री-प्राइमरी टीचर हेतु राशि 15000=00 कलेक्टर दर पर निश्चित मानदेय (मासिक एकमुश्त) देय होगा।
2. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन, के पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के निर्देशानुसार नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधधीन होगा।
3. इच्छुक एवं योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़, पिन-496001 के पते पर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। अभ्यर्थी दिये गये दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात ही आवेदन करें।
4. दिनांक 25.08.2023 से 11.09.2023 कार्यालयीन समय 5:30 सायं तक डाक के माध्यम से ही प्राप्त आवेदनों पर का ही पात्रता एवं अपात्रता का परीक्षण किया जाएगा। अन्य माध्यम से/विलंब से प्राप्त आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
5. डाक से प्राप्त समस्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र की सूची तैयार की जावेगी जिसमें से पात्र अभ्यर्थियों का 12वीं एवं स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रतिशत के अंकों के कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जावेगी। तदपश्चात दावा आपत्ति हेतु तीन दिवस का समय दिया जावेगा जिसे 2 दिवस के भीतर निराकृत कर अंतिम मेरिट सूची (01 पद के विरुद्ध 03 अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा) जारी की जाएगी।

संविदा भर्ती हेतु शर्तें:-

1. व्याख्याता पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नाकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य।
2. शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से संबंधित संकाय /विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि एवं बी.एड. प्रशिक्षित तथा टी.ई.टी. उत्तीर्ण (माध्यमिक स्तर) अनिवार्य होगा। अंग्रेजी भाषा हेतु स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में हो। शिक्षक कला हेतु स्नातक स्तर पर भूगोल /अर्थशास्त्र , इतिहास/राजनीति में से किन्हीं एक विषयों का होना अनिवार्य। उक्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही प्रधान पाठक प्रा.शा. पद हेतु आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें केवल एक ही पद (शिक्षक अथवा प्रधान पाठक प्रा.शा.) हेतु आवेदन करना होगा।
3. सहायक शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित संकाय (कला/वाणिज्य/ जीवविज्ञान/गणित) तथा सहा.शि.विज्ञान (प्रयोगशाला) हेतु (जीवविज्ञान/गणित) में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। सहायक शिक्षक पद हेतु बी. एड./डी.एड. के समकक्ष प्रशिक्षित होना एवं टी.ई.टी. उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
4. कला संकाय (व्याख्याता/शिक्षक/सहा.शि.) पद पर अंग्रेजी माध्यम से अध्ययनरत अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण योग्यताधारी परंतु अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन में दक्ष अभ्यर्थियों पर विचार किया जा सकता है।
5. प्री-प्राइमरी टीचर हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी.एड./डी.एल.एड./नर्सरी टीचर ट्रेनिंग/मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग प्रशिक्षित अनिवार्य। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग/मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. सभी पदों पर संविदा भर्ती हेतु कक्षा 5वीं, 8वीं, 10 वीं एवं 12 वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
7. सभी पदों हेतु चयन अर्हताधारी पदों के अंको एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर किया जावेगा।
8. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9. आवेदकों को अपने आवेदन में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के किस विद्यालय हेतु आवेदन कर रहे हैं उसका उल्लेख करना होगा तथा साक्षात्कार के समय पदांकन के लिये विद्यालय की वरीयता बताना आवश्यक होगा।
10. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
11. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अधीन रहेगी।
12. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यता ही मान्य होगी।
13. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिये। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 कि स्थिति में की जाएगी। उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
14. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथवा पर्याप्त कारण से विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी कृपया वेब साईट का निरंतर अवलोकन करते रहें।
15. चयन के संबंध में चयन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

नियुक्ति अवधि :-

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिये की जावेगी । तथापि स्वामी आत्मानंद समिति के द्वारा आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की कालावधि बढ़ाया जा सकेगा जो कि शासन के आगामी निर्देश के अंतर्गत प्रतिबंधित होगा ।
2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में तीन माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी

निरहर्ताएँ:-

1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तकर्ता द्वारा चयन के लिये निरहित माना जा सकेगा ।
2. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विहीत की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप में स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये । परन्तु अपवादिक मामलों में अभ्यर्थी का उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि व चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।

//3//

3. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा, जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तकर्ता का निर्णय संबंधी :-

1. चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा।
2. चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन /नियुक्ति नियुक्तकर्ता द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

अन्य निर्देश :-

1. नियुक्त उम्मीदवार को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे।
2. नियमानुसार संविदा भर्ती के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।
4. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी रायगढ़ जिले के वेबसाइट www.raigarh.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।

Taran

(तारन प्रकाश सिन्हा)

कलेक्टर एवं अध्यक्ष

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी

माध्यम विद्यालय समिति

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 21/08/2023

पृ.क्रमांक/5469/SAGES/2023-24

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव महोदय, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन खण्ड-03 प्रथम तल अटलनगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सर्व संबंधित सदस्य एवं सचिव, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, NIC जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित रायगढ़ जिले के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. सर्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Taran

कलेक्टर एवं अध्यक्ष

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी

माध्यम विद्यालय समिति

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

12. Domicile of Chhattisgarh ; - Yes/No
13. Valid Employment Registration no. ; - _____
- 14 Valid Employment Registration Date ; - _____
- Self attested Photocopy attached ; - _____
15. List of attached documents (Photo copies) ; - _____

Note;- Self attested photo copies of all educational certificats, caste certificates, domicile certificate ,Live employment registration certificate,DOB certificates (High school certificates) and other relevant certificates should be attached along with this application.

Total no. of certificates in page along with this application form;-

Self-Declaration

I _____ Son/Daughter of Shri _____ age _____ year, resident of _____ in the District _____ Chhattisgarh, do hereby declare that the information given above and in the enclosed documents is true to the best knowledge and belife and nothing has been concealed therein, i am well aware of the fact that if the information given by me proved false/not true at any point of time, i will have to face punishment as per any provision of law for the time being in force as well as the benefit accrued to me or my candidature shall be summarily cancelled.

Date ; _____

Plsce ; _____

Signature of Applicant

(Applicant Full Name)